

28/11/24 आज पञ्जावली परा डी वरुनाथ  
उपवासी/वकी द्वारा प्रस्तुत मूलवाद  
साठपत्र 07R/CPC में पेश किया जा  
चुका है। अतः प्राथमिक पत्र स्वयं का  
कोई औचित्य नहीं रह गया है। फाकी  
के साथ सुभार होकर नम्बर से कम होकर  
मूलवाद के साथ संलग्न रहे।

सहायक कलक्टर  
अलवर